फर्द अहकाम

सीताराम बनाम आन्ची देवी वगैरह

न्यायालय

केस संख्या 09/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/9/21	प्रशासनिक ऑफीसर दौरे/अवकाश पर होने तक अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/11/21 को पेश हो।	
	18/11/21	आज यह पंचायती प्रशासन गांवो के संग अभियान केस कोई ग्राम हाथनौता में पेश हुई। पारीगण उपस्थित रहे सुनी। पंचायती का अवलोकन किया गया। मूल वाद सकारण व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय होना है। पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता को रोकने हेतु न्यायालय अग्रिम में इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 10/07/20 को स्थाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10/07/20 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को ताफैसला मूल वाद स्थाई किया जाता है। पंचायती फैसला शुमार होकर इजी नम्बर से कायम हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	नि. मीरा देवी सीताराम पंचायती पंच अनिल सेरावत सरपंच ग्राम पंचायत हाथनौता पं. स. गोविन्दगढ़ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.02.08 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested